रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 33] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, जनवरी 25, 1973/माघ 5, 1894

No. 33] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 25, 1973/MAGHA 5, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January 1973

S.O. 41(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 28th day of January, 1973 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Maharashtra namely:—

1. The area comprised within the limits of the Chalisgaon Municipal Council.
2. The Survey No. 319 and 320 of Chalisgaon Gavthan Taluka Chalisgaon.
3. The Survey No. 182 of Khadki Badruk (Shivar) Taluka Chalisgaon.

[No. 604(2)/70-HI.]

D. S. NIM, Jt. Secy.

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1973

का० आ० 41(अ).—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा जनवरी 1973 के 28वें दिन को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस को उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय, जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं) के उपबन्ध महाराष्ट्र राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

1. चालीस गांव नगरपालिका परिषद् की सीमाओं के अन्दर समाविष्ट क्षेत्र.
2. चालीसगांव गावथान तालुका के सर्वेक्षण संख्या 319 और 320.
3. खाड़की बादुक (शिवार) तालुका चालीसगांव का सर्वेक्षण संख्या 182.

[संख्या 604(2)/70—एच०आई०]

डी० एस० निमि, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973